

कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता (चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

पत्रांकः DSW/NET Pass Ph.D.Sch/2023-24/ 3107

दिनांकः 05.04.2023

विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023—24 में चौ० चरण सिह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के शैक्षणिक विभागों / विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में यू०जी०सी० नेट उत्तीर्ण होने के साथ विश्वविद्यालय द्वारा आर०डी०सी० की संस्तूति के उपरान्त पी०—एच०डी० में पंजीकृत हैं और अध्ययनरत है एवं सभी श्रोतों से परिवारिक वार्षिक आय रु० 5 लाख से कम है, उन शोधार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा रु० 5000/— प्रतिमाह की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन—पत्र आंमन्त्रित किये जा रहे हैं। छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली, आवेदन—पत्र ५५ शपथ पत्र प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध है। यह छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष (2023—24) दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक देय है अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा जिन छात्र/छात्राओं की आर०डी०सी० दिनांक 31.03.2023 से पहले हो चुकी है, ऐसे इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी उक्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।

अतः उक्त योग्यता व शर्ते पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन—पत्र (संलग्न प्रारूप पर) तथा सनी प्रमाण पत्र जैसे आर०डी०सी० पत्र, नेट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो (वित्तीय वर्ष मार्च 2024 तक मान्य हो) एवं नेट से सत्यापित हो की प्रति एवं शपथ पत्र आदि संलग्न कर विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्रा अपने सूपरवाइजर एवं विभागाध्यक्ष से तथा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्रा अपने सूपरवाइजर एवं प्राचार्य/प्राचार्या से अग्रसारित कराकर छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में स्वंय उपस्थित होकर अथवा कालेज/विभाग के माध्यम से दिनांक 25.04.2023 तक जमा करा सकते है। आवेदन—पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक 25.04.2023 है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन—पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

छात्रवृत्ति हेतु अर्ह एवं चयनित विद्यार्थियों की सूची सम्बन्धित विभाग/सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या को ईमेल के माध्यम से तथा दिये गये विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी यथाशीघ्र प्रकाशित की जायेगी। नोटः — जिन विद्यार्थियों को पूर्व में दो बार उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त हो गयी है उनका आवेदन मान्य नहीं होगा। संलग्नकः—

- 1. छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली की प्रति।
- 2. छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र का प्रारूप।

3. अण्डरटेकिंग शपथ पत्र प्रारूप।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

तनरा विशासका निर्मा कार्या कार्या कार्या की कार्या कार्या की कार्या की कार्या कार्या कार्या कार्या की कार्या कार्या कार्या कार्या का

4. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचित करने का कष्ट करें।

5. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

6. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।

o. प्रयापाम राहाचन निर्मा । त्राप्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

्रिछात्र कल्याण अधिष्ठाता



CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT OFFICE OF THE DEAN STUDENTS' WELFARE

Proforma for Scholarship of Rs. 5000/- Per Month to NET Passed Ph.D. Enrolled Candidates (having family income less then 5.00 Lac per year) of Ch. Charan Singh University Campus/Affiliated Colleges (w.e.f. 01-04-2022)

le	ss then 5.0	JU Lac per	year) of C	Ch. Charan Singh Unive	ersity Campus/Affiliated	Colleges (w.e.f. 01-04-2022)
Name of University Cam Name of Student			llege-	:		-
Father's / Husband's Na	me			:		
Date of Birth						
Category				:		Photo Attested by HOD of University Campus Teaching
Address for Correspondence :					Department / College of the Principal	
Mobile No.			:			Fincipal
Email Address			:			
Subject			:			
Date of Ph.D. Registration	on (RDC)		:			
Date of NET Clearing Exa	amination		:			
Bank Name & Address			:			
Bank Account No.						
Name of Bank Branch			:			
IFSC Code No.						
Income per year						
Academic Record						
Examination Passed	Year	Div.	%	Subjects	School/Colle	ge Board/Universi
Intermediate						
B.A./B.Sc/B.Sc.Ag/B.Com						
M.A./M.Sc/M.Sc.Ag/M.Com						
Any Other						

Essential Enclosures

- (1) Attested Copy of RDC letter
- (2) Copy of NET Certificate
- (3) Family Income Certificate from Competent Authority and verify by the authentic gov. website

(4) Copy of Cast Certificate from Competent Authority

(5) Copy of Bank Pass Book

(6) Undertaking for not in any Government Service/not in any Job/not holding any office profit/other fellowship

Signature of Candidate

Countersigned by HOD and Supervisor of University CampusTeaching Department/Supervisor and Principal of the College

(Supervisor)

(Head/ Principal) With seel



कार्यालय-छात्र कल्याण अधिष्ठाता (चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ)

पत्रांकः DSW/ 3/08 दिनांकः 05.04.2023

विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों से नेट उत्तीर्ण व पी—एच0डी0 में पंजीकृत ऐसे विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष रू० 5 लाख से कम है को रू० 5000/— प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध मे नियमावली —2022।

- 1. विश्वविद्यालय द्वारा यह छात्रवृत्ति उन्हीं शोध छात्रों को प्रदान की जायेगी जो यू०जी०सी० नेट उत्तीर्ण होने के साथ चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ/सम्बद्ध महाविद्यालयों में आर०डी०सी० की संस्तुति के उपरान्त शोधार्थी के रूप में पंजीकृत हैं एवं अध्ययनरत है एवं कोई अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहा है अथवा कही पर कार्यरत नहीं है। साथ ही उनके परिवार की सभी श्रोतों से वार्षिक आय रु० 5.00 लाख से कम हो, को यह छात्रवृत्ति अर्ह एवं चयनित शोधार्थियों को वित्तीय वर्ष 2022–23, जो 01 अप्रैल 2022 से रू० 5000/ प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- 2. इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु इच्छुक शोधार्थी अपने प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वांछित संलग्नकों सहित (शैक्षिक योग्यता, यू०जी०सी० नेट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण-पत्र, आर.डी.सी. पत्र, जाति प्रमाण-पत्र इत्यादि) सम्बन्धित शोध पर्यवेक्षक एवं विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रचार्या से संस्तुति कराकर विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी निर्धारित तिथि तक छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
- 3. यह छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के अनुसार देय होगी।
- 4. यह छात्रवृत्ति अधिकतम 2 वर्षों (24 माह) के लिए देय होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शोध ग्रन्थ (थीसिस) छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष अथवा इससे पहले जमा कर देता है तो उसकी छात्रवृत्ति उसी तिथि से समाप्त हो जायेगी।
- 5. यदि कोई अभ्यर्थी छात्रवृत्ति के दौरान नौकरी प्राप्त कर लेता है तो इसकी तत्काल सूचना सम्बन्धित संस्था/विभाग को देने का दायित्व शोधार्थी का होगा व उसकी छात्रवृत्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी। और उसकी समस्त जानकारी/अभिलेख सम्बन्धित विभाग/महाविद्यालय को रखना होगा।
- 6. अभ्यर्थी के शोध कार्य के सम्बन्ध में यदि उसके शोध पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रचार्या द्वारा कोई असन्तोषजनक आख्या प्राप्त होती है तो उसकी छात्रवृत्ति समाप्त करने पर विचार किया जायेगा।
- 7. छात्रवृत्ति के दौरान शोधार्थी किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत न हो व किसी Remunerative कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए। शोधार्थी इस छात्रवृत्ति के दौरान कोई छात्रवृत्ति नहीं ले सकता। शोधार्थी इस आशय का प्रमाण-पत्र शोध पर्यवेक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्रचार्या से प्रमाणित कराकर उपलब्ध करायेगा।
- 8. इस छात्रवृत्ति का लाभ लेने वाले शोधार्थियों की निर्धारित उपस्थिति सम्बन्धित विभाग में अनिवार्य होगी।
- 9. इस छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिसूचना छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा साल के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रकाशित की जायेगी तथा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध आवेदन—पत्र प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगे, तत्पश्चात छात्रों के आवेदनों पर नियमानुसार विचार विमर्श के बाद अई अभ्यर्थियों की सूची उसी वित्तीय वर्ष में प्रकाशित की जायेगी व उसी वर्ष अप्रैल माह से लागू होगी। इच्छुक एवं अई विद्यार्थियों द्वारा आवेदन करने के पश्चात ही विश्वविद्यालय द्वारा यह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
- 10. यह छात्रवृत्ति अधिकतम दो वर्ष देय है, इसलिये अभ्यर्थी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे आवेदन करना होगा।
- 11. यह सूची कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा विकास विभाग को प्रेषित कर दी जायेगी, जिससे उनके बिल केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पारित हो व भुगतान हो।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता

Undertaking for not in any Government Service/not in any Job/not holding any office of profit/other fellowship

शपथ पत्र 10/— के स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी से सत्यापित हो, आवेदन के साथ संलग्न करना है।

श्री मान सक्षम अधिकारी कुलसचिव/अधिष्ठाता छात्र कल्याण चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।

- 1. यह कि मै शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा नाम ———— पिता / पित का नाम——— हालपता————जिला————राज्य का निवासी हूँ ।
- 2. यह कि मैने यू0जी0सी0 नेट की परीक्षा वर्ष —— मे विषय——से उत्तीर्ण की है।
- 3. यह कि मै विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय संस्था का नाम ——विभाग ———मे अध्ययनरत हूं। विश्वविद्यालय द्वारा मेरी आर0डी0सी0 दिनांक ———को होने के उपरान्त सूपरवाइजर का नाम——के निर्देशन मे दिनांक——— से मै नियमित रूप से पी0एच0डी0 कर रहा/रही हूँ। तथा मेरे माता/पिता अथवा अभिभावक की सभी श्रोतो से वार्षिक आय रू० 5 लाख से कम है का प्रमाण पत्र है।
- 4. यह कि मैं पी0एच0डी0 करने के समय में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्यरत नहीं हूँ। और नाही किसी पद का लाभ ले रहा हूँ। तथा मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही है।
- 5. यह कि शपथ पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी कथन मेरे निजी संज्ञान एवं विश्वास में है। यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाये जिससे मुझे कोई आपित्ति नहीं होगी। और विश्वविद्यालय द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी का उत्तदायी स्वयं मेरी होगी।
- 6. यह कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु बैक का विवरण निम्नलिखित है—
- 7. बैंक का नाम एवं पता-
- खाता संख्या–
- 9. आई एफ सी कोड-
- 10. मोबाइल नम्बर—

छात्र / छात्रा का पूरा नाम, पिता का नाम एवं पता हस्ताक्षर मोबाइल नम्बर